

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-53/2016 परि0...../

प्रेषक,

बलराम प्रसाद,
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- M/s-Hero MotoCorp Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में ।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s-Hero MotoCorp Ltd. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ICAT, Haryana द्वारा निर्गत Type Approval Certificate एवं अन्य वांछित कागजात कागजात एवं स्वअभिप्रमाणित प्रोटोटाइप जाँच प्रमाण-पत्र के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model T.A. Certificate No./date	Variants	Types of Vehicle	Ex-showroom Price
1	Splendor-9 CAJN 0008 E14/16-08-2016	Passon Pro & its Variants	2-Wheeler-L2	Rs. 52,986/-

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/ मार्ग निर्देशन जहाँ डीलर द्वारा सलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापाक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-**Authorised Signatory: For M/s- Hero MotoCorp Ltd . 34, Community Centre, Basant Lok, Basant Vihar, New Delhi** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापाक :

7337

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software के Master Box में इस मॉडल की प्रविष्टि हेतु I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।